

**प्रेषक**

मनोज कुमार,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में**

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,  
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी।

**उच्च शिक्षा अनुभाग-4**

लखनऊ : दिनांक/५ अप्रैल, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को वेतन मद में देय अनुदान की स्वीकृति।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में देय धनराशि रू0 15,32,04,000/- (रू0 पन्द्रह करोड़ बत्तीस लाख चार हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण प्रतिमाह की आवश्यकतानुसार सानुपातिक रूप से किस्तों में किया जाएगा।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 4- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- 5- इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जाएगा। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियां व्यय हेतु अनुमन्य होंगी, जो शासनादेश संख्या-1075/सत्तर-4-99/46(21)/99, दिनांक 29.04.2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गयी है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 6- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
- 7- इस अनुदान पर विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04.05.1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जाएंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जाएंगे।



- 8- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता, 12-काशी विद्यापीठ, 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) "के नामे डाला जाएगा।
- 9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
1574  
( मनीज कुमार )  
विशेष सचिवा

### संख्या एवं दिनांक तदैवा

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
  2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
  3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
  4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
  5. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
  6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
  7. अपर सचिव, 30प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
  8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
  9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
1574  
( सर्वेश कुमार सिंह )  
उप सचिवा